न्यायालय जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 गौरव सैनी

अपील संख्या– 02/23 तारीख रज्जू–12/09/23

1 धनफूल पुत्र परसादी उम्र 76 साल जाति मीना निवासी ग्राम जीवली तहसील वजीरपुर हाल गंगापुर सिटी ——अपीलान्ट

बनाम

1. मुरारी पुत्र जौहरी जाति माली ग्राम जलोखरा
2. राधेश्याम पुत्र जौहरी जाति माली ग्राम जलोखरा
3. हरि पुत्र जौहरी जाति माली ग्राम जलोखरा
4. दाखा पत्नि जौहरी जाति माली ग्राम जलोखरा
5. संतरा पत्नि केदार जाति माली ग्राम जलोखरा
6. रामजीलाल पुत्र स्व0 श्री रंगलाल जाति माली ग्राम जलोखरा
7. रत्तीराम पुत्र स्व0 श्री रंगलाल जाति माली ग्राम जलोखरा
8. बबलू पुत्र स्व0 श्री रंगलाल जाति माली ग्राम जलोखरा
9. मिश्री पत्नि स्व0 श्री रंगलाल जाति माली ग्राम जलोखरा
10. जगन पुत्र भौरया जाति माली ग्राम जलोखरा
11. प्रकाश पुत्र भरतलाल जाति माली ग्राम जलोखरा
12. चरणसिंह पुत्र भरतलाल जाति माली ग्राम जलोखरा
13. छोटी पत्नि स्व0 भरतलाल जाति माली ग्राम जलोखरा
14. शिवजी पुत्र स्व0 भरतलाल जाति माली ग्राम जलोखरा
15. जगदीश पुत्र भौरया जाति माली ग्राम जलोखरा (हजफ)
16. बसन्ती पत्नि भौरया जाति माली ग्राम जलोखरा (हजफ)
17. सुमन नरूका पत्नि दीपक सिंह नरूका जाति राजपूत निवासी पुराने बस स्टैण्ड के पास गंगापुर सिटी
18. मदनमोहन पुत्र जगनलाल जाति महाजन निवासी गंगापुर सिटी
19. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
20. सब रजिस्ट्रार तहसील कार्यालय गंगापुर सिटी
21. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
22. शंकर पुत्र स्व0 बजरंग लाल उम्र 50 साल जाति रावत निवासी किरण पैलेस के पास शुक्ला कॉलोनी ,गंगापुर सिटी —— रेस्पोडेन्टान

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)

निर्णय

दिनांक– 19/03/2024

अपीलान्ट ने यह अपील ग्राम जलोखरा के नामान्तकरण संख्या 151 में पारित निर्णय दिनांक 13.01.2009 व नामान्तकरण सं0 163 निर्णय दिनांक 19.04.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। नामान्तकरण सं0 151 में पारित निर्णय दिनांक 13.01.2009 द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी ने न्यायलय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के मु0सं0 98/03 में पारित निर्णय दिनांक 16/02/2008 की पालना में नामान्तकरण तस्दीक किया है तथा नामान्तकरण सं0 163 निर्णय दिनांक 19.04.2010 द्वारा वाद आराजीयात खं0नं0 385/301 रकबा 0.12 है0 भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रेस्पों0 सं0 17 के नाम नामान्तकरण तस्दीक किया है, साथ ही अपीलान्ट ने नामान्तकरण सं0 151 निर्णय दिनांक 13.01.2009 व नामान्तकरण सं0 163 निर्णय दिनांक 19.04.2010 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पों0 सं0 1,2,4,5,6,7,8,9 द्वारा नोटिस पढकर लेने से माना करने पर तथा रेस्पों0 सं0 10 लगायत 14 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।रेस्पों सं0 16 फौत हो जाने के कारण एवं रेस्पों0 सं0 15 लापता होने के कारण मूल अपील में इनके नाम हजफ किये गये।रेस्पों0 सं0 3,17,18,22 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पों0 सं0 19,20,21 की और से पेरोकार सरकार उपस्थित होने पर तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि अदालत मातहत में एक वाद पत्र जौहरी पुत्र रामकुमार जाति माली निवासी जलोखरा के द्वारा भोरया, माल्या जाति माली निवासी जलोखरा के विरूद्ध बाबत् धोषणा खातेदारी एवं दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था। जिसमें दिनांक 16.09.2008 को दावा तथाकथित रूप से राजीनामा डिक्री किया गया कि वादीगण को आराजी खं0नं0 301 रकबा 12 ऐयर स्थित ग्राम जलोखरा का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है।

उक्त न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के निर्णय की पालना में प्रतिवादीगण जगनलाल, भरतलाल ,जगदीश व बसन्ती प्रत्येक के हिस्से में से 3–3 ऐयर जमीन कम होनी थी, किन्तु जो नामान्तकरण खोला गया वह सम्पूर्ण जमीन केवल प्रतिवादी जगदीश पुत्र भोरया माली की खातेदारी मे से ही सम्पूर्ण 12 ऐयर जमीन कम कर नामान्तकरण सं0 151 दिनांक 13.01.2009 खोल दिया गया ।

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज०)

(2022/21)

GCMS
2022/46

रेस्पों सं0 1 लगायत 9 के द्वारा उपरोक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय नामा रेस्पोडेन्ट सं0 17 सुमन नरूका को विक्रय कर दी। जिस पर नवीन नामान्तकरण सं0 163 दिनांक 19.04.2010 स्वीकार हुआ।

तहसीलदार गंगापुर सिटी के द्वारा मातहत अदालत उप जिला कलेक्टर के दिये गये आदेश व डिक्री के मुताबिक चारो प्रतिवादी जगन,भरतलाल,जगदीश व बसन्ती के संयुक्त हिस्से मे से 12 ऐयर जमीन कम करनी थी, किन्तु केवल एक व्यक्ति जगदीश के हिस्से मे से ही सम्पूर्ण भूमि 12 ऐयर जमीन कम कर दी। इस प्रकार जगदीश के साथ सारभूत अन्याय किया गया, क्योकि सम्पूर्ण जमीन कम करने से उसकी जमीन 9 ऐयर कम हो गयी।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के आदेश व डिक्री के विरूद्ध एक अपील सं0 75/2015 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर ने निर्णय दिनांक 21.03.2016 के द्वारा अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के आदेश व डिक्री निरस्त करते हुए प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड कर दिया। इस प्रकार ग्राम जलोखरा के नामान्तकरण संख्या 151 में पारित निर्णय दिनांक 13.01.2009 व नामान्तकरण सं0 163 निर्णय दिनांक 19.04.2010 नियम विपरित होने से निरस्त योग्य है, साथ ही वकील अपीलान्ट ने ग्राम जलोखरा के नामान्तकरण संख्या 151 में पारित निर्णय दिनांक 13.01.2009 व नामान्तकरण सं0 163 निर्णय दिनांक 19.04.2010 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

वकील रेस्पोडेन्टस् ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रथम दृष्ट्या अपील मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में उप जिला कलेक्टर के प्रकरण सं0 98/2003 के निर्णय दिनांक 16.09.2008 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा अपील सं0 70/2015 के द्वारा निरस्त होना बताया है। जबकि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के प्रकरण सं0 70/2015 में पारित निर्णय दिनांक 21.03.2016 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट सं0 17 सुमन नरूका ने राजस्व मण्डल अजमेर में अपील सं0 3005/2016 प्रस्तुत की। न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12/02/2020 के अनुसार उक्त अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 21.03.2016 को निरस्त कर न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के निर्णय दिनांक 16.09.2008 को बहाल रखा है। इस प्रकार राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय अस्तित्व नहीं रहने के कारण यह अपील चलने योग्य नहीं है। न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत अपील में स्वंय अपीलार्थी धनफूल भी पक्षकार रहा है।

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज०)

gcms

न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के निर्णय के अनुसार जगदीश के हिस्से में आई भूमि खं0नं0 385/301 रकबा 12 एयर जगदीश ने रेस्पोडेन्ट 17 को जरिये विकय पत्र विकय किया है तथा रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर सुमन नरूका के हक में नामान्तकरण सं0 163 तस्दीक किया गया है। अपीलार्थी ने जगदीश द्वारा सुमन नरूका को किये गये विकय के बाबत् न्यायालय जिला जजी गंगापुर सिटी में दावा सं0 49/2010 धनफूल बनाम जगदीश प्रस्तुत किया। अपीलार्थी धनफूल का यह दावा दिनांक 06/02/2015 को खारिज हो गया। जिनकी तनकी सं0 7 कायम की गई और नामान्तकरण सं0 151 निरस्ती नहीं की बल्कि नामान्तकरण सही माना गया। उक्त वाद में अपीलार्थी द्वारा इन सारे तथ्यों को छुपाया है। उक्त नामान्तकरण तस्दीक में अदालत मातहत द्वारा किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की है। साथ ही वकील रेस्पोडेन्ट ने ग्राम जलोखरा के नामान्तकरण संख्या 151 में पारित निर्णय दिनांक 13.01.2009 व नामान्तकरण सं0 163 निर्णय दिनांक 19.04.2010 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि अपीलान्ट धनफूल का उक्त वाद–आराजीयात पर किस प्रकार हक निहित है। इस संबंध में कोई दस्तावेज/साक्ष्य सम्मलित नहीं किये है। ना हि अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि अपने पक्ष में कय हेतु कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये है। अपीलान्ट के वकील अधिवक्ता द्वारा उक्त अपील न्यायलय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के मु0सं0 98/03 में पारित निर्णय दिनांक 16/02/2008 की पालना में खोले गये नामान्तकरण के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जबकि उक्त न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के मु0नं0 98/03 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर ने निर्णय दिनांक 21.03.2016 के द्वारा अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के आदेश व डिकी निरस्त करते हुए प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड कर दिया। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 21/03/2016 के विरूद्ध अपील न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत की गई। जिसमें अपीलान्ट स्वयं पक्षकार था। न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12/02/2020 द्वारा उक्त अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 21.03.2016 को निरस्त कर न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के निर्णय दिनांक 16.09.2008 को बहाल रखा है। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील में अदालत मातहत द्वारा खोला गया नामान्तकरण 151 में पारित निर्णय दिनांक 13.01.2009 इस आधार पर निरस्त होने योग्य बताया है कि न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के निर्णय दिनांक 16.09.2008 के अनुसरण में उक्त न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के वाद में अंकित प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 जगनलाल,भरतलाल,जगदीश व बसन्ती के हिस्से में से 3–3 एयर कम होकर इस प्रकार कुल 12 एयर भूमि कम होनी थी। जबकि जो

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)

नामान्तकरण खोला गया वह सम्पूर्ण जमीन केवल प्रतिवादी जगदीश पुत्र भोरया माली की खातेदारी में खोला जाना बताया है। लेकिन उक्त क्रम में अपीलार्थी द्वारा न्यायपालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के निर्णय दिनांक 16.09.2008 की प्रति या अन्य कोई साक्ष्य दस्तावेज इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए है। उक्त अपील में यदि जगदीश स्वयं पीडित है तो जगदीश को स्वयं अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। लेकिन उक्त अपील अपीलान्ट धनफूल द्वारा प्रस्तुत की गई है। जबकि अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील के संबंध में अपना हक निहित होने संबंधित कोई दस्तावेज/राजस्व रिकोर्ड व साक्ष्य न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं किये गये है, साथ ही अपीलान्ट द्वारा नामान्तकरण सं0 163 निर्णय दिनांक 19.04.2010 नियम विपरित होने से निरस्त करने हेतु निवेदन किया है। जबकि उक्त नामान्तकरण विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है तथा उक्त नामान्तकरण विधि विरूद्ध व नियम विरूद्ध होने के संबंध में कोई दस्तावेज,साक्ष्य, राजस्व रिकोर्ड अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं किया है।

उक्त परिस्थितियों में हमारे विनम्र अभिमत में अपील अस्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा नामान्तकरण सं0 151 में पारित निर्णय दिनांक 13.01.2009 एवं नामान्तकरण संख्या 163 निर्णय दिनांक 19.04.2010 वाके ग्राम जलोखरा यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19/03/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी